

E-Note

397

बिहार सरकार
अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं-4/निदे0(सी0एस0एस0)-61-05/2012- 112

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 18.03.17

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास हेतु भारत सरकार से शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि से आयोत्पादक योजनाओं के लिए कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय, सामग्री एवं पूर्तियाँ, लघु कार्य तथा मशीनें एवं उपस्कर मद में कुल-₹38,86,91,000/- (अड़तीस करोड़ छियासी लाख एकानवे हजार रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2- कुल भारत राशि का व्यय व्यय वर्ष 2016-17 में योजना बजट मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-793- अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता -उपशीर्ष-0401-अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास-मांग संख्या-44-विषय शीर्ष-1301-कार्यालय व्यय, 2003-प्रशिक्षण व्यय, 2101-सामग्री एवं पूर्तियाँ, 2701-लघु कार्य, 5201-मशीनें एवं उपस्कर, विपत्र कोड-S2225017930401 (योजना कोड-पी0एफ0एम0एस0 कोड-0958) के अन्तर्गत विकल्पनीय है।

3- इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 में केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पत्रांक-11014/02/2016-SCD-II दिनांक-09/06/2016 द्वारा कुल- ₹38,86,91,000/- (अड़तीस करोड़ छियासी लाख एकानवे हजार रु०) विमुक्त किया गया है।

4 - उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे।

5- कुल स्वीकृत राशि ₹38,86,91,000/- (अड़तीस करोड़ छियासी लाख एकानवे हजार रु०) मात्र में से राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास हेतु आयोत्पादक योजनाओं के तहत कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण व्यय, सामग्री एवं पूर्तियाँ, लघु कार्य तथा मशीनें एवं उपस्कर हेतु स्वीकृति दी जा रही है। इस राशि का व्यय जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा सभी अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास हेतु किया जायेगा।


6- वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक 17-4-98 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्ग दर्शन तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

7- इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-4/एस0सी0ए0-01/2007 के पृष्ठ-77 /टि0 पर प्राप्त है।

8- इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जा रही है।

9- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रेम सिंह मीणा),
सरकार के सचिव।

39/6
ज्ञापांक- 4/एस0सी0ए0-61-05/2012- 112

पटना, दिनांक 18.03.17

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त./सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/ सभी संबंधित जिला कल्याण पदा0/ उप निदेशक(मु0), अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/ सहायक निदेशक अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/ सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव 17.3.17

ज्ञापांक-4/एस0सी0ए0-61-05/2012- 112

पटना, दिनांक 18.03.17

प्रतिलिपि - सभी जिला कोषांगार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव 17.3.17

विवरण -I

वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जातियों के बहुमुखी विकास हेतु भारत सरकार से शत-प्रतिशत अनुदान में प्राप्त अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि के तहत निम्नलिखित ईकाई मद में स्वीकृत राशि

क्रमांक	विषय शीर्ष एवं ईकाई का नाम	स्वीकृत राशि (राशि लाख रुपये में)
1	2	3
1	1301- कार्यालय व्यय	14.78
2	2003- प्रशिक्षण व्यय	2332.00
3	2101- सामग्री एवं पूर्तियां	1132.00
4	2701- लघु कार्य	388.70
5	5201-मशीनें एवं उपस्कर	19.43
	कुल	3886.91

(कुल अडतीस करोड़ छियासी लाख एकानवे हजार रू0 मात्र)

पत्रांक- 112

दिनांक-18.03.17का अनुलग्नक

सरकार के सचिव 17.3.17